संख्या-1336/2025/1997/22-2-2023-17(494)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गौरीशंकर दीक्षित पुत्र श्री लक्ष्मी दीक्षित, निवासी जनपद-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गौरीशंकर दीक्षित पुत्र श्री लक्ष्मी दीक्षित, ग्राम-गंगराई, थाना-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा अनीता को शादी के बाद से मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे दिनांक 15.05.2013 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर जला कर श्रीमती अनीता को घायल कर दिया। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-337/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, कोर्ट स०-02, कुशीनगर स्थान पड़रौना के आदेश दिनांक 29.03.2018 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष 08 माह 18 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 11 माह 11 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी गौरीशंकर दीक्षित पुत्र श्री लक्ष्मी दीक्षित की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी की 34 वर्ष की आयु, दिनांक 02.03.2023 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह 18 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 11 माह, 11 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गौरीशंकर दीक्षित (बन्दी संख्या-249/2019) पुत्र श्री लक्ष्मी दीक्षित, निवासी जनपद-कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1336/2025/1997(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।